



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: 15(24)परावि/विधि/आरक्षण/2026/83

जयपुर, दिनांक :- 16.09.2026

1. जिला कलक्टर, समस्त, राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी, समस्त, राजस्थान।

विषय:- पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी बाबत।

प्रसंग:- विभागीय पत्र क्रमांक 64 दिनांक 13.08.2026 एवं 80 दिनांक 15.09.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या D.B Writ Miscellaneous Application No. 438/2026 and others दिनांक 20.07.2026 के क्रम में राज्य सरकार पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15.11.2026 तक पूर्ण कराने हेतु कृत संकल्प है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 19.8.2026 को राज्य के नगरीय निकायों हेतु जारी विस्तृत चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्रों की संवीक्षा हेतु दिनांक 17.9.2026 तथा चुनाव चिन्हों के आवंटन हेतु दिनांक 18.09.2026, मतदान हेतु दिनांक 21.09.2026 तथा उपाध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन हेतु दिनांक 22.9.2026 निर्धारित की गई है।

इस क्रम में जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण/लॉटरी प्रक्रिया दिनांक 13.08.2026 को पूर्ण की जा चुकी है। अतः उपर्युक्त क्रम में जिला स्तर (जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य) की आरक्षण/लॉटरी दिनांक **23.09.2026 (23 सितम्बर, 2026)** को एवं उपखण्ड स्तर (सरपंच एवं वार्ड पंच) की आरक्षण/लॉटरी दिनांक **24.09.2026 (24 सितम्बर, 2026)** को निकाला जाना सुनिश्चित किया जाये।

अतः उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।


(**डॉ. जोगा राम**)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, महाधिवक्ता महोदय, राजस्थान।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परावि।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त, राजस्थान।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।


शासन सचिव एवं आयुक्त